महत्वपूर्ण

पत्र संख्या-स्था-6-सामान्य-इम्प्लाई आई0डी0 आवंटन (125)भाग-3/2020-21/ 3550 / वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश
(स्थापना-अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 18 दिसम्बर, 2020

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

प्रायः यह देखा जा रहा है कि विभाग में कार्यरत् कार्मिकों की जनशक्ति एवं वार्षिक प्रविष्टियों को भिजवाये जाने एवं अन्य महत्वपूर्ण मामलों में मुख्यालय द्वारा जो भी सूचनायें अधीनस्थ कार्यालयों से मांगी जाती है, उन्हें निर्धारित समयावधि में मुख्यालय को उपलब्ध न कराये जाने की प्रवृत्ति अपना ली गयी है। इस सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से अनेकों अनुस्मारक पत्र जारी करने की दशा में राजकीय कार्य बाधित होने के साथ-साथ महत्वपूर्ण वांछित सूचना के अभाव में कतिपय मामलों में शासन / कमिश्नर महोदय द्वारा अप्रसन्नता भी व्यक्त की जाती है। अतएव अपेक्षित है कि शासन / मुख्यालय स्तर से वांछित सूचनायें बिना किसी अनुस्मारक की प्रतीक्षा किये सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण कराकर प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समयावधि में मुख्यालय को उपलब्ध करा दी जाये।

आप यह भी अवगत है कि विभाग में अराजपत्रित श्रेणी (समूह-ग) के कार्मिकों का सेवाविवरण EIMS मॉड्यूल पर फीड कराया जा रहा है जिसमें सम्बन्धित कार्मिकों का इम्प्लाई आई0डी0 नम्बर आवंटित होना आवश्यक है। इम्प्लाई आई0डी0 नम्बर आवंटित किये जाने हेतु विभिन्न जनपदों से अलग-अलग पत्रों के माध्यम से निरन्तर प्रस्ताव प्रेषित किये जाते है। इस कारण एक ही प्रकार के मामले में मुख्यालय स्तर पर अनेकों बार कार्यवाही करानी पड़ती है, फलतः अन्य महत्वपूर्ण लम्बित मामलों में कार्यवाही समय से सम्पादित नहीं हो पाती है तथा राजकीय समय का दुरुपयोग भी होता है। इम्प्लाई आई0डी0 नम्बर आवंटन हेतु प्राप्त प्रस्ताव ऐसे कार्मिकों के सम्बन्ध में भी हैं जो विभाग में कई वर्ष पूर्व नियुक्त हुये हैं। ऐसे कार्मिकों के आई0डी आवंटन का प्रस्ताव पूर्व में उपलब्ध न कराया जाना अधीनस्थ कार्यालयों के स्तर पर बरती गयी उदासीनता का परिचायक है। वस्तुतः कार्मिक के विभाग में नियुक्ति उपरान्त तीन माह के अन्दर इम्प्लाई आई0डी0 आवंटन का प्रस्ताव भिजवाया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः महत्वपूर्ण राजकीय कार्यों के निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब न हो और सरकारी सेवकों के कार्यालय समय का अनावश्यक दुरुपयोग भी न हो, इसके लिये अपेक्षित है कि मुख्यालय द्वारा उपरोक्त प्रकरणों में जो भी सूचनायें मांगी जा रहीं हैं, उन्हें जोन स्तर पर संकलन कराकर एक ही पत्र के माध्यम से मुख्यालय को निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करा दिया जाये।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि मुख्यालय द्वारा वांछित सूचनायें निर्धारित समयावधि में भिजवाये जाने सम्बन्धी उपरोक्त निर्देशों का जोन स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि जिन कार्मिकों की इम्प्लाई आई0डी0 नम्बर अभी तक आवंटित नहीं हुआ है, उनसे सम्बन्धित जोन की संकलित सूचना सक्षम अधिकारी द्वारा सेवाभिलेखों से

सत्यापनोपरान्त अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में निम्न प्रारुप में मुख्यालय को प्रत्येक दशा में दिनांक 11.01.2021 तक उपलब्ध करा दें, जिससे कि नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही करायी जा सके:-

::प्रारुप::

SERIAL NO.	EMPLOYEE NAME	FATHER / HUSBAND NAME	DATE OF BIRTH	APPOINTMENT DATE	PRESENT DESIGNATION	PRESENT POSTING PLACE	HOME DISTRICT
1	2	3	4	5	6	7	8

उपरोक्त के अतिरिक्त भविष्य में इम्प्लाई आई0डी0 नम्बर आवंटन हेतु जोन स्तर की संकलित सूचना त्रैमास समाप्ति के उपरान्त अनुवर्ती माह की 15 तारीख तक प्रत्येक दशा में मुख्यालय को उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें ।

(सूर्यमणि लालचंद)
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पृष्ठांकन पत्रसंख्या व दिनांक : उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तद्नुसार अनुपालन कराये जाने हेतु प्रेषित:-

1- अपर निदेशक (प्रशिक्षण संस्थान) वाणिज्य कर, गोमतीनगर, लखनऊ ।
2- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को एक प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु ।
3- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ ।
4- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
5- समस्त डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) / असिस्टेन्ट कमिश्नर (ए), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
6- समस्त पटल प्रभारी, स्थापना अराजपत्रित अनुभाग, वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ ।

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन)वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।